डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अंदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम –हिण्डौन सिटी जिला करौली
इजलास अनूपसिंह, R.A.S.

उनवान

1. सुरेन्द्र पुत्र भरोसी
2. अंशु | पिसरान भरोसी
3. गुलशन |
4. सीमा बेबा पप्पू

जाति जाटव निवासी ढिंढोरा तहसील सूरौठ जिला करौली

———————— वादीगण

बनाम

तहसीलदार तहसील सूरौठ जिला करौली ———————— प्रतिवादी

दावा बाबत् इस्तकरार हक,
(इन्द्राज दुरूस्ती)

मुकदमा नं0 54 / 2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री अशोक नीमनका एडवोकेट मिन कानिव मुदई रूबरू पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है डिक्री दी जाती है कि विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 280 / 4139 रकबा 1.01 है0 वाके ग्राम कसाने का नंगला तहसील सूरौठ में गैरखातेदार भरोसी पुत्र कलुआ जाति भंगी निवासी ढिंढोरा गैरखातेदार के स्थान पर भरोसी पुत्र कलुआ जाति जाटव निवासी ढिंढोरा गैरखातेदार राजस्व रिकार्ड में संशोधन करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार सूरौठ को आदेश दिये जाते हैं कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन का अमल दरामद करें तथा मृतक भरोसी पुत्र कलुआ जाति जाटव निवासी ढिंढोरा गैरखातेदार के वारिसान के नाम नियमानुसार नामान्तकरण भरकर तस्दीक करें। निर्णय व डिक्री की प्रति तहसीलदार सूरौठ को पालनार्थ भेजी जावे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 7-7-22 को यह डिक्री जारी की गई।

(अनूपसिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)